

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
2. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
3. आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक ०४ अक्टूबर, 2021

विषय: अनिस्तारित सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण एवं सम्पत्तियों रजिस्ट्री की कार्यवाही को फ़ैसिलिटेट करने हेतु विशेष कैंम्प आयोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-2569/आठ-9-21, दिनांक 28.10.2021 का संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण एवं सम्पत्तियों रजिस्ट्री की कार्यवाही को फ़ैसिलिटेट करने हेतु विशेष कैंम्प आयोजित करके समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा इस संबंध में समुचित प्रचार-प्रसार करने व फीडबैक शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

2- इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.10.2021 की अपेक्षानुसार प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण एवं सम्पत्तियों रजिस्ट्री की कार्यवाही को फ़ैसिलिटेट करने हेतु विशेष कैंम्प आयोजन दिनांक 17.11.2021 एवं दिनांक 18.11.2021 को कराने तथा इसका फीडबैक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रणविजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को समस्त प्राधिकरणों/परिषद कार्यालय से अनुश्रवण किये जाने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
विशेष सचिव।